

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्रमांक—एफ—१—०७/३१/एस—२/२०२३/३३४।

अटल नगर, दिनांक १०/८/२०२३

प्रति,

मुख्य अभियंता,  
महानदी गोदावरी कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय:— बलौदाबाजार—भाटापारा जिले के विकासखंड—पलारी की छेरकापुर जलाशय योजना का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :— प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक—२३३०/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/२०२२/११०३९,  
नवा रायपुर, दिनांक ०८.१२.२०२२।

—००—

राज्य शासन एतद्वारा बलौदाबाजार—भाटापारा जिले के विकासखंड—पलारी की छेरकापुर जलाशय योजना का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. २८०.४४ लाख (रुपये दो करोड़ अस्सी लाख चवालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

२. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई १३८ हेक्टेयर में १३८ हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित झेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
३. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
४. छत्तीसगढ़ वित्तीय संडिता भाग—एक के नियम—१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
५. योजना पर व्यय बजट शीर्ष माँग संख्या ६४ अनुसूचित जाति उपयोजना, ४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, [०१]—सतही जल, ०१०३ अनुसूचित जाति उपयोजना, (३८२८) लघु सिंचाई योजना, # ९७-निर्माण कार्य, ००३ बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
६. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक १९.०६.२०२३ में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त की गई है।
७. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
८. योजना की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
९. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(अनुराग पाण्डेय)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

...2

...2...

पृष्ठमांक—एफ—1—07 / 31 / एस—2 / 2023 / 3342

अटल नगर, दिनांक 10/8/2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4—22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ एवं भू—जल सर्वेक्षण मण्डल रायपुर, जिला—रायपुर(छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग कसडोल, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



*Senley*  
विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग